

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर, जयपुर

बइजलास :- श्री राजपीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1 आदालत 2 मजसूरानसिंह

वादी/प्रार्थी पि. 2 मोनारामसिंह जाति राजपूत नि. पुष्पक शर्मा तह. विराटनगर

1 मरिपारसिंह 2 नन्दसिंह 3 रोहित शर्मा 4 सोमनाथसिंह 5 सुश्रीसिंह राजपूत पत्नी सुश्रीसिंह राजपूत

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या (116/2016) 13/2020 दावा बाबत स्थायी

निवेदना शर्तें घोषणा खातेपारी एक यह

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरु श्री आनंदसिंह शेणमत Adv. एडवोकेट व हाजरी ... मिन जानिब मुददई रुबरु श्री गोपाल दास Adv. कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि

सुना गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीशरण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा

निर्णय आज दिनांक 03-7-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



P.T.O. (राजपीरसिंह यादव RAS. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

विराटनगर 3-7-20 सहित न्याय

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा  
 इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना  
 आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व  
 मुहर अदालत के आज तारीख 03-7-80 को जारी की गई।

मुद्दाई	रुपया	मुद्दायलह	रुपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुकमनामा मीजान	/	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुकमनामा मुतजरिक मीजान	/
	शून्य		शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये  
 दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

निवासी भुवाफना खुर्द तह. विराटनगर

(5) राज साकर जर्ष तहसीलदार विराटनगर।  
 ————— प्रतिवादी गण

(राजवीर सिंह थाइव RAS.  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर

(6) भुगनकर (न) सुरेश कंवर पुनिया श्योभारामण सिंह जर्ष  
 राजपूत नि. भुवाफना खुर्द तहसील विराटनगर  
 ————— तदली प्रतिवादी गण



उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)